न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 278/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1–खंगाराराम पुत्र तगाराम 2–भंवराराम पुत्र तगाराम 3–तुलसाराम पुत्र तगाराम 4–अखाराम पुत्र तगाराम 5–उदाराम पुत्र तगाराम 6–टीपूदेवी पत्नी तगाराम 7–धाराराम पुत्र पूंजाराम 8–गेनाराम पुत्र पूंजाराम जातियान कुम्हार निवासीगण पूंजाणी कुम्हारो की ढाणी, रोहिली तहसील बाडमेर 9–राजोदेवी पत्नी बांकाराम जाति कुम्हार निवासी मोडाणियों की ढाणी, रोहिली तहसील बाडमेर 10–तुलसीदेवी पत्नी खेताराम जाति कुम्हार निवासी भाडखा तहसील व जिला बाडमेर		1– तहसीलदार बाडमेर 2– सोनाराम पुत्र देसलाराम 3– भगवानाराम पुत्र देसलाराम 4– हीरालाल पुत्र देसलाराम 5– अगरीदेवी पत्नी देसलाराम 6– ओमाराम पुत्र राणाराम 7– वीरमाराम पुत्र राणाराम 8– तीडीदेवी पत्नी राणाराम जाति कुम्हार निवासीगण पूंजाणी कुम्हारो की ढाणी रोहिली, तहसील बाडमेर 9– मुजबरखांन पुत्र जुसब 10–रहमत पत्नी जुसब 11–दीलावर पुत्र हकीम 12–निजाम पुत्र हकीम 13–रोजा पुत्र हाजी 14–कबीर पुत्र हाजी 15–रईस पुत्र हाजी 16–मरबत पत्नी हाजी 17–मूसा पुत्र मलूक 18–चेनसर पुत्र नागू 19–अलू पुत्र नागू जातियान मुसलमान निवासीगण जन्जो की बस्ती, रोहिली तहसील व जिला बाडमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, विरूद्ध निर्णय दिनांक 19–9–2017 जो उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा राजस्व आवेदन पत्र संख्या 1276/2017 अनवान तहसीलदार बाडमेर बनाम तुलसीदेवी वगैरा मे पारित किया गया ।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त * जोधपुर

उपस्थितिः–

1– श्री सिद्धार्थ परिहार अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।
3– श्री अनिल राठी अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 9 से 16 व 18, 19 की ओर से ।
4– शेष रेस्पो0 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 26–9–2018

अति० सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ऐसे सार्वजनिक रास्ते जो राजकीय एवं निजी खातेदारी की भूमि मे से स्थाई रूप से चले आ रहे है, परंतु राजस्व रेकर्ड मे उनका इन्द्राज नही है । रास्तो संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा चलाये गये अभियान के तहत तहसीलदार बाडमेर ने ग्राम रोहिली के खसरा नंबर 401/40, खसरा नंबर 41, खसरा नंबर 435/65 एवं 437/65 की क्रमशः 0.04 बीघा, 1.04 बीघा, 1.10 बीघा तथा 0.10 बीघा कुल 4 खसरान की 3 बीघा 08 बीघा भूमि

रास्तो के रूप मे राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करने का प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर के समक्ष प्रेषित किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर ने तहसीलदार बाडमेर से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार खातेदारी की भूमि की किस्म गैर मुमकीन रास्ते के रूप मे दर्ज करने तथा तदनुसार नक्शे मे तरमीम करने के बाबत अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19–9–2017 को पारित कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है । उक्त अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई ।

उभयपक्ष की ओर से अधिवक्तागण उपस्थिति । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो एवं परिस्थितियो पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश दिनांक 19–9–2017 पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

अपीलांट अधिवक्ता ने कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10–8–2016 को जो परिपत्र जारी किया गया था उसमे सेटलमेंट के समय से चले आ रहे कदीमी पग डंडी एवं रास्ता जो किसी मुख्य आबादी या गांवो को जोडता हो, जिसका राजस्व रेकर्ड मे अंकन रास्ते के रूप मे नही हो परंतु रास्ता वक्त सेटलमेंट से लगातार आम जन द्वारा उपयोग मे लिया जा रहा हो, ऐसे रास्तो का अंकन करने हेतु राज्य सरकार द्वारा परिपत्र जारी किया गया था परंतु रेस्पो0 संख्या 1 तहसीलदार बाडमेर व पटवारी हल्का ने जंगुंओ की स्कूल के पास रह रहे स्थानीय निवासियो के पक्ष मे गलत रूप से ऐसी भूमि को रास्ते के रूप मे दर्ज करवाने का प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी बाडमेर को प्रेषित कर दिया, जिसका उपयोग आम जन द्वारा कभी भी रास्ते के रूप मे नही लिया गया है इसलिए तहसीलदार बाडमेर ने राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10–8–2016 मे दिये गये निर्देशो के विपरीत गलत प्रस्ताव बनाकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया तथा उसके आधार पर पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान को बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जबकि किसी खातेदार की खातेदारी जोत को कम व ज्यादा करने अथवा किस्म परिवर्तन करने से पूर्व उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना नितांत आवश्यक है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त * जोधपुर *

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 41 दक्षिणी सेढे से होकर एक डामर रोड खसरा नंबर 65 मे आ रही है जबकि उतरदाता खातेदार निजाम व मुजबर मिलकर खसरा नंबर 41 उत्तरी सेढे से अन्य रोड व अन्य रास्ता अपने खेत व ढाणियें मे ले जाना चाहते है, इसी दुराश्य से ग्रसित होकर उतरादाता मुजबर व निजाम ने तत्कालीन पटवारी रोहिली व तहसीलदार बाडमेर से

अति. संभागीय आयुक्त जोधपुर

सांठगांठ कर धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ते की मांग न कर गलत रूप से राज्य सरकार के परिपत्र. दिनांक 10–8–2016 के जरिये गलत प्रकिया से रास्ता प्राप्त करने हेतु अपीलाधीन निर्णय पारित करवाया है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19–9–2017 बिना अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही पारित किया हुआ होने से अपीलांटगण को अपीलाधीन निर्णय की समय पर जानकारी नही हो सकी थी तथा जानकारी होते ही उक्त अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है जिसे अन्दंर मयाद सुमार करते हुए अपीलांट की अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19–9–2017 को अपास्त कर प्रार्थी के खातेदारी भूमि मे गलत रूप से गै0मु0रास्ते के रूप मे की गई तरमीम को निरस्त कर अपीलांट की खातेदारी भूमि को पूर्व अनुसार यथावत रखने के आदेश पारित करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा रास्तो की समस्याओ का निराकरण अभियान 2016 के तहत राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा समय समय पर पारित परिपत्रो, दिशा निर्देशों के कम मे तहसील क्षेत्र मे ऐसे सार्वजनिक रास्ते राजकीय भूमि/निजी खातेदारी की भूमि मे से मौके पर स्थाई रूप से चालू है परंतु राजस्व अभिलेख मे किसी भी रूप मे दर्ज नही है, ऐसे रास्तो को चिन्हित कर रास्तो का राजस्व अभिलेख मे अंकन करवाने के विधिवत प्रस्ताव तहसीलदार बाडमेर द्वारा उपखण्ड अधिकारी बाडमेर को प्रेषित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान को नोटिस जारी कर, पक्षकारान बावजुद तामिल अनुपस्थित रहने पर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, उसे विधिसम्मत बताते हुए अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि ग्राम रोहिली के खसरा नंबरान 401/40 मे से 0.04 बीघा, खसरा नंबर 41 मे से रकबा 1.04 बीघा, खसरा नंबर 435/65 मे से 1.10 बीघा तथा खसरा नंबर 437/65 मे से 0.10 बीघा कुल 4 खसरान की 3.08 बीघा अलग–अलग खातदारो की भूमियां जिन पर मौके पर स्थाई रास्ते चालू है, उन सभी को राजस्व रेकर्ड मे गै.मु.रास्ते के रूप मे दर्ज करने तथा तद्नुसार तरमीम करने के आदेश पारित किये है, जो विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने भी रेस्पो0 अधिवक्ता की बहस का समर्थन किया एवं कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा रास्तो की समस्याओ के समाधान हेतु चलाये गये अभियान मे दिये गये दिशा निर्देशो के कम मे तहसीलदार बाडमेर ने ऐसे रास्ते जो मौके पर चालू है जिनका उपयोग–उपभोग आम जन द्वारा किया जा रहा है परंतु उनका राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज नही है, को चिन्हित कर उनके प्रस्ताव बनाकार अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत खातेदारो को नोटिस जारी

अति० संभागीय आयुक्त
जोधपुर

करने के बाद जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत होने से उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर गौरपूर्वक मनन किया, उनके तर्को, दलीलो पर चिंतन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19–9–2017 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध रेकर्ड का भी अवलोकन किया ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन से यह प्रकट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार बाडमेर ने अपने पत्र कमांक/राज/17/2207 दिनांक 21–7–17 के सलंग्न शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–1) विभाग राज. जयपुर के पत्र दिनांक 24–8–16 जिसमे "रास्ते संबंधी समस्याओ का निराकरण अभियान–2016" के संबंध मे जारी मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशो एवं राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र दिनांक 10–8–16 की पालना मे ऐसे सार्वजनिक रास्ते जो राजकीय भूमि/निजी खातेदारी की भूमि मे से मौके पर स्थाई रूप से चालू है परंतु उनका राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज नही संबंधी प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किये । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय प्रस्ताव मे वर्णित उन खातेदारान जिनकी भूमि रास्ते के रूप मे उपयोग मे आ रही है, उन्हे सुनवाई हेतु दिनांक 19–9–2017 के नोटिस जारी किया जाना तथा उक्त नोटिसेज पर आबाद मकान पर चस्पादगी रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जो नोटिसेज अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध है इसलिए वर्तमान प्रकरण मे अपीलांटगण का यह कथन किया उन्हे सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो सही नही है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19–9–2017 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 26–9–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

तारीख हुक्म	राजस्व अपील संख्या 278 / 2018 हुक्म या कार्यवाही, मय इनिशियन्स जज अनवान खंगाराराम वगैरा बनाम तहसीलदार बाड़मेर वगैरा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म को तामील में जारी हुए
	दिनांक 9–10–2019 वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी.पी.सी. पर उक्त निर्णित पत्रावली आज पेशी पर ली गई । उक्त प्रार्थना पत्र मे उक्त अनवान की अपील मे पारित निर्णय की दिनांक 26–9–2019 के स्थान पर टंकण त्रुटिवश दिनांक 26–9–2018 अंकित कर दी गई है जिसे सुधार कर निर्णय दिनांक 26–9–2019 किया जाने का निवेदन किया । हमने उक्त अनवान मे इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया तथा धारा 152 सी.पी.सी. के प्रावधानो का अवलोकन किया, जिसमे दिये गये प्रावधानो के तहत वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 152 सी.पी.सी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सही दिनांक 26–9–2019 पढी जाये जो निर्णय के पृष्ठ संख्या 1 एवं 4 पर अंकित है । उक्त आदेश मूल आदेश का अंग सुमार करते हुए उसके साथ पढा जायें । प्रस्तुत धारा 152 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया जाये । सं॰ संभागीय आयुक्त जोधपुर	